

कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

(नगर पंचायत, छत्तरपुर)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या:-NPC-01/2017-18


वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के द्वारा शहरी स्थानीय निकायो को शहरी नागरिक सुविधा मद अन्तर्गत कार्य हेतु उपायुक्त, पलामू को आवंटन प्राप्त है। उपायुक्त, पलामू के आदेश संख्या-225/नजा0, दिनांक 19.06.2017 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उपावटित है। जिसके अन्तर्गत नागरिक सुविधा हेतु कार्य किया जाना है।

अतः इच्छुक संवेदक सिलबंद लिफाफे में परिमाण विपत्र सशुल्क निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 23.12.2017 को 4:00 बजे अपराह्न तक (कार्यालय कार्य दिवस में) अनुमंडल कार्यालय, छत्तरपुर से प्राप्त कर अपना निविदा दिनांक-26.12.2017 को 1:00 बजे अपराह्न तक कार्यालय अपर समाहर्ता, पलामू में जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक 26.12.2017 को 1:30 बजे अपराह्न में अपर समाहर्ता, पलामू के कार्यालय वेश्म में जिला निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी।

1. विभाग का नाम :- नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।
2. विज्ञापनदाता का नाम :- अनुमंडल पदाधिकारी, छत्तरपुर।
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि :- निविदा प्रकाशन की तिथि से 23.12.2017 को 4 बजे अपराह्न तक (कार्यालय कार्य दिवस में)।
4. निविदा प्राप्ति का स्थान :- अपर समाहर्ता, पलामू के कार्यालय में।
5. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक 26.12.2017 को समय 1:00 बजे अपराह्न तक।
6. निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान :- दिनांक 26.12.2017 को 1:30 बजे अपराह्न में अपर समाहर्ता, पलामू के कार्यालय वेश्म में।
7. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :- अनुमंडल कार्यालय, छत्तरपुर।
8. कार्य का नाम :- Construction of Crematorium (शवदाह गृह) on Shamshan Ghat of Village- Khatin, Panchayat- Bara, Block- Chhattarpur.

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	प्रमाण-विपत्र का मूल	कार्य समाप्ति की अवधि	अभियुक्ति
1.	Construction of Crematorium (शवदाह गृह) on Shamshan Ghat of Village- Khatin, Panchayat- Bara, Block- Chhattarpur.	9,49,100 /-	19,000 /-	1900 /--	60 दिन	प्रथम प्रकाशन

निविदा की शर्तें एवं अन्य जानकारी अनुमंडल कार्यालय, छत्तरपुर के सूचना पट एवं NIC पलामू के website:- www.palamu.nic.in पर देखा जा सकता है।


अनुमंडल पदाधिकारी,
छत्तरपुर(पलामू)।

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण (सूचना संख्या NPC-01/2017-18) की शर्तें

(नगर पंचायत, छतरपुर)

1. नगर पर्यटन मेदिनीनगर/नगर पंचायत विश्रामपुर/नगर पंचायत हुसैनाबाद में समुचित श्रेणी में निबंधित/झारखण्ड सरकार/भारत सरकार में निबंधित (पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/मवन निर्माण/पुलिस हाउसिंग बोर्ड) में निबंधित संवेदक ही निविदा देने हेतु सक्षम है।
2. शर्तसुक्त एवं अस्पष्ट निविदा मान्य नहीं होगा। मुहरबंद लिफाफा के उपर कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य है।
3. निविदा के साथ समुचित श्रेणी में निबंधन पत्र, अद्यतन आयकर भुगतान प्रमाण-पत्र, वाणिज्यकर सफाया प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित सुरुपष्ट प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
4. परिमाण विपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ परिमाण विपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (केवल एस0बी0आई0 का) संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अनुमंडल पदाधिकारी, छतरपुर के पदनाम से देय होगा तथा भारतीय स्टेट बैंक, छतरपुर में भुगतान होगा। परिमाण विपत्र का मूल्य वापस नहीं किया जायेगा।
5. निविदा के साथ अग्रघन के रूप में 8/6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (8वें निर्गम) या पाँच/तीन वर्षीय डाकघर सावधि जमा /बैंक सावधि जमा अनुमंडल पदाधिकारी, छतरपुर के पदनाम से प्लेज(Playsed) कराकर जमा करना अनिवार्य है।
6. पाँच वर्षों तक निर्माण की गयी योजना के रख-रखाव का दायित्व संवेदक का होगा। अतः निविदादाता स्थलीय स्थिति देख लेंगे एवं सही संतुष्ट होने के बाद ही निविदा में दर अंकित करेंगे। अग्रघन/जमानत की राशि कार्य समाप्ति के पाँच वर्षों तक लौटाई नहीं जायेगी और शर्तों के अनुरूप कार्य संतोषप्रद पाए जाने के उपरान्त ही राशि लौटायी जायेगी।
7. निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कार्य समाप्त करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी एवं इसकार्य के लिए संवेदक को अलग से कोई राशि देय नहीं होगी, बल्कि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर जुर्माना प्राक्कलित राशि की 10 प्रतिशत एक मुश्त वसूल किया जायेगा। कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में संवेदक के अन्य कार्य आवंटित किये जाने के दावे का कोई अधिकार नहीं होगा।
8. कार्य प्रारम्भ करते ही संवेदक को कार्य से संबंधित सूचना के सूचनापट का निर्माण अपने खर्च पर करना होगा।
9. निविदा निरन्तरन की तिथि से तीन दिनों के अंदर चयनित निविदादाता को एकरारनामा कर लेना होगा, अन्यथा उनकी निविदा रद्द कर दी जायेगी।
10. कार्यमें लगने वाली निर्माण संबंधी सभी सामग्री संवेदक को स्वयं आपूर्ति करनी होगी, विभाग कोई सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध नहीं करायेगी। विजली, पानी एवं कार्य में लगने वाली सामग्री की व्यवस्था संवेदक को स्वयं करनी होगी। प्रभारी अगियता की लिखित सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण से संबंधित सामग्री लगानी होगी।
11. संवेदक का चयन जिला स्तरीय गठित निविदा समिति द्वारा किया जाएगा। बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा एक ही कार्य को एक से अधिक संवेदकों के बीच बांटने का समस्त अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।
12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में समिति के द्वारा दिया गया आदेश ही मान्य होगा।
13. आवंटन उपलब्ध रहने एवं संवेदक द्वारा प्रस्तुत विपत्र को कोषागार से निकारसी के पश्चात् ही किये गये कार्यों का भुगतान किया जाएगा। कोषागार से निकारसी के पूर्व संवेदक द्वारा भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।
14. किसी भी प्रकार के न्यायािक विवाद का निपटारा स्थानीय न्यायालय में ही किया जा सकेगा।
15. विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा/क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा तथा उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।
16. निविदा के शर्तों का उल्लंघन करने पर निविदा की राशि जप्त कर ली जायेगी।
17. निविदादाता पहले तकनीकी निविदा संबंधी दरतावेजों को एक लिफाफे में शीलबंद करेंगे तथा वित्तीय निविदा के लिफाफे को अलग करेंगे। दोनों लिफाफे को पन्-एक बड़े लिफाफे में रखकर शीलबंद करेंगे। प्रत्येक लिफाफे पर उसमें रक्षित कागजातों यथा-वित्तीय अथवा तकनीकी अंकित करेंगे।
18. निविदा प्रस्तुत/स्वीकृति के उपरांत जाली/असत्य दरतावेज पाये जाने पर अथवा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर स्वीकृत निविदा को कभी भी निरस्त किया जा सकता है तथा निविदा के साथ जमा अग्रघन/जमानत राशि जप्त कर ली जायेगी।



अनुमंडल पदाधिकारी,
छतरपुर(पलामू)।